व्यापार पेज 1, 2
13.10.13

ई-कॉमर्स में रिटेल एफडीआई : सरकारी प्रयास का भारी विरोध

व्यापारी आक्रमक आंदोलन चलाने को लेकर लामबंद

रमाकांत चौधरी

नई दिल्ली । देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से ई कॉमर्स में रिटेल एफडीआई की अनुमति देने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। जिसके खिलाफ देश भर के व्यापारी जोरदार आक्रमक आंदोलन चलाने को लेकर लामबंदी शुरु कर दी है।

इस बावत कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने संयुक्त ब्यान में कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से ई कॉमर्स में रिटेल एफडीआई लाने के प्रयास से एक तरह से विदेशी रिटेल कम्पनियों को पिछले दरवाजे से भारत के रिटेल व्यापार में प्रवेश की चाल मात्र है और इससे सरकार की तरफ से रिटेल व्यापार में एफडीआई के लिए बनाए गए सभी नियम ध्वस्त होंगे क्योंकि ई कॉमर्स में व्यापार करने की कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिनस्थ कार्यरत आईपीपी विभाग की तरफ से ई कॉमर्स में रिटेल एफडीआई की अनुमति देने के संबंध में एक नोट तैयार किया जा रहा है। जिसका कैट सहित देश के २० हजार से अधिक व्यापरिक संगठन जबरदस्त विरोध करेंगे। उन्होंने संयुक्त ब्यान में कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक तरफ देश के घरेलू व्यापार को मजबूत करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की है जो कि देश में रोजगार देने वाला कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

वहीं दूसरी तरफ विदेशी कम्पनियों को देश के खुदरा बाजार के हवाले किए जाने के लिए केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय नई-नई योजनाएं बनाने में जोरशोर से जुटा हुआ है।

उन्होंने कहा कि रिटेल व्यापार में एफडीआई के प्रवेश पर केन्द्र सरकार ने अनेकों तरह की शर्तें लगाई हुई है और अब ई कॉमर्स में रिटेल एफडीआई की अनुमति देने से वो सभी शर्तें निष्प्रभावी हो जाएंगी। जिससे व्यापारियों को ही नहीं अपितु लघु उद्योग क्षेत्रों को भी भारी धक्का पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विसंगति आएगी क्योंकि ई कॉमर्स का व्यापार करने वाली कम्पनियां सिर्फ एक राज्य के कर विभाग में अपना पंजीकरण

(शेष पृष्ठ २ पर)

(पृष्ठ १ का शेषांश)

ई-कॉमर्स...

कराएंगी जबकि वही वस्तुएं अन्य राज्यों में बिना उस राज्य का कर दिए बेच देंगी। वहीं दूसरी तरफ व्यापारी अथवा लघु उद्योग अपनी वस्तुएं किसी भी राज्य में बेचना चाहे तो उन्हें पंजीकरण करना आवश्यक होगा।

उन्होंने कहा कि देश के खुदरा बाजार में लगभग पांच करोड़ से अधिक व्यापरिक प्रतिष्ठान कार्यरत है जो कि राष्ट्रीय जीडीपी में १५ प्रतिशत का योगदान करते हैं और जिनकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग १५ प्रतिशत है ओर सालाना २० लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। जिससे लगभग देश के २२ करोड़ से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए खुदरा व्यापार पर निर्भर है।

जबकि लघु उद्योग राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग ९ प्रतिशत का योगदान करते हैं और देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग का हिस्सा लगभग ३६ प्रतिशत का है। देश के लघु उद्योग क्षेत्र में ३.६ करोड़ प्रतिष्ठान कार्यरत है जो कि लगभग ८ करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और पिछले पांच वर्षों से देश के लघु उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर १० प्रतिशत है।

ऐसे में ई कॉमर्स रिटेल एफडीआई को यदि केन्द्र सरकार अनुमति देती है तो निश्चित तौर पर देश की पहले से ही बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ेंगा। ऐसे में देश भर के व्यापारी केन्द्र सरकार के इस कदम कदम का जबरदस्त विरोध करेंगे। जिसके लिए रणनीतिक लामबंदी शुरु हो गई है।